संख्या-20/2554/71-1-2014-क-47/2009

प्रेषक

सुभाष चन्द्र राय
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 13 अक्टूबर, 2014

विषय:- जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर में न्यूरोलॉजी सेन्टर के उच्चीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2014/236, दिनॉक 28-07-2014 एवं शासनादेश संख्या-2532/71-1-2013-क-47/2013, दिनॉक 03-03-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर में न्यूरोलॉजी सेन्टर के उच्चीकरण किए जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 8,77,71,000/- (रू0 आठ करोड़ सत्तहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा उक्त के सापेक्ष अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु वृहद निर्माण कार्य के मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष् प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- नींव की संरचना चार तल के निर्माण हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं, के संबंध में लोक निर्माण विभाग की स्थानीय इकाई तथा मुख्य अभियंता (लोक निर्माण विभाग) से पुष्टि कराने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य की होगी।

5- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि व्यय वित्त समिति की शर्तो एवं वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-07-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन योजना प्रारम्भ करते समय सुनिश्चित कर लिया जाए।

6- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीक़त कराया जाय। नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7- महानिदेशक/प्रधानाचार्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया। प्रायोजना की विशालता एवं

http://shasanadesh.up.nic.in

महत्व के दृष्टिगत महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रायोजना के क्रियान्वयन एवं नियोजन हेतु एक उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन कर लिया जाय। विभाग हित में निर्धारित अवधि में परियोजना पूर्ण किए जाने के संबंध में अनुबन्ध पत्र तैयार करा लिया जाए।

8- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

9- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा। आहरित धनराशि पी0एल0ए0/बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी।

11- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा। आगणन में अंकित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग के शासनादेश संख्या-8115-16/भ0नि0, दिनॉक 19-10-2011 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जाए।

12- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-39-गणेश शंकर विधार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2225/दस-2014, दिनॉक 10 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है

भवदीय

(सुभाष चन्द्र राय)
विशेष सचिव

संख्या:- 20/2554(1)/71-1-2014 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- मा0 मुख्य मंत्री घोषणा प्रकोष्ठ (घोषणा-जी0एच0-110000033, दिनॉक 23-07-2012)

http://shasanadesh.up.nic.in

7- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

8- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर इकाई, कानपुर।

9- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

11- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in